न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 77 / 2012

प्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र हणमानराम
2. जेती देवी पुत्री हणमानराम
3. अमरी देवी पुत्री हणमानराम जाति समस्त जाट निवासी ग्राम कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हणमानराम पुत्र मुन्नाराम
2. सोहनी देवी पत्नि हणमानराम
3. भागूराम पुत्र हणमानराम
4. परसाराम पुत्र हणमानराम
5. जयराम पुत्र हणमानराम
6. जीवणराम पुत्र हणमानराम
7. रामेश्वर पुत्र हणमानराम
8. भुवानाराम पुत्र हणमानराम
9. हीरा देवी पुत्री हणमानराम
10. मीरा देवी पुत्री हणमानराम जाति समस्त जाट निवासी ग्राम कुकनवाली
11. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)
12. उप पंजीयक अधिकारी, कुचामन सिटी
13. पटवारी हल्का कुकनवाली तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
14. संरपच, ग्राम पंचायत कुकनवाली पं.स. कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा. 212 राज.का.अधि.1955
उपस्थित :–श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 से 10की ओर से।

आदेश

दिनॉक:– 17.01.17

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 834 रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 863 रकबा 3.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 1077 / 875 रकबा 0.15 हैक्टर कुल रकबा 6.21 हैक्टर तथा ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 796 रकबा 3.99 हैक्टर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 से 10 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पिता / पति के पैतृक भूमि आई हुई है उक्त भूमि उनके पिता हणमानराम के आई हुई है जिसमे उनका भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 जेती देवी का 1/12 व प्रार्थी संख्या 3 अमरीदेवी का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 से 10 को 1/12 – 1/12 हिस्सा है जिस पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है उपरोक्त भूमि का विभाजन किया हुआ नही और सभी शामिल मे काश्त करते है। उपरोक्त खसरान नम्बरान की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का अकेले के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से प्रार्थीगण के हिस्से में आई हुई भूमि को हड़प करने की नीयत से दिनॉक 08.011.2012 को अप्रार्थी सं. 1 हणमानराम ने अप्रार्थी सं. 3 भागूराम अकेले के नाम से खसरा नम्बर 834 की सम्पूर्ण भूमि तथा खसरा नम्बर 863 मे से 1.90 हैक्टर कुल 4.74 हैक्टर का रजिस्टर्ड बेचाननामा करवा दिया जो बेचाननामा **NULL & Void** है जबकि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि में अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। अप्रार्थी संख्या 3 क्रेता उक्त **NULL & Void** बेचाननामा के आधार पर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के लिए आये तब प्रार्थीगण ने अपनी पैतृक भूमि पर कब्जा नही करने दिया और अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने कहा तब उन्होने ऐलानिया धमकी दी कि हम इस शेष बची सम्पूर्ण भूमि को भी बेचेंगे, आपसे होवे वह करना तब नकले लेने पर पूरी जानकारी हुई। उपरोक्त भूमि संयुक्त कब्जासुदा स्वामित्व की पैतृक भूमि को बिना विधिवत बंटवारा किये बिना किसी अधिकार के अवैध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज होने व अप्रार्थी संख्या 3 को अवैध बेचान करने से प्रार्थीगण के जायज अधिकारो पर अंधकार के बादल छा गये है और इनके साथ कुठाराघात हो गया है। अगर ऐसा बिना किसी विधिक अधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 व 3 करने मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण के जायज अधिकारो का हनन होगा और हमेशा के लिए अपनी कब्जासुद स्वामित्व की पैतृक कृषि भूमि से वंचित हो जायेंगें। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। उपरोक्त तथ्यो अनुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा किसी प्रकार की हानि भी प्रार्थीगण को होनी है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को विधिक बंटवारा कराये बिना किसी अन्य को बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 10 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण 11 से 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक रही है। संयुक्त रूप से काबिज रहने का तथ्य गलत है। उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी हणमानराम एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 10 का कब्जा काश्त है तथा हनुमानराम द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में बेचान की गई भूमि का रकबा 4.74 हैक्टर पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 2 का है। प्रार्थी देवाराम 20 वर्षो से भी अधिक समय से अप्रार्थी सं.1 से अलग होकर अपने परिवार सहित अलग रहता है तथा हनुमानराम की पुत्रिया प्रार्थी सं. 2 3 अपने ससुराल मे रहती है तथा अन्य पुत्र पुत्री हणमानराम के साथ संयुक्त रूप से निवास करते आ रहे है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को कुकनवाली के खसरा नम्बर 823 824 1093/834

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

कुल रकबा 3.40 हैक्टर का आधा हिस्सा खरीद कर उसके हिस्से के एवज मे दे दिया था, प्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त भूमि का बेचान अपने एक वर्षीय पुत्र गिरधारीराम के नाम करवाया जो आज दिन उसके नाम दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2066–69, 2070–73सम्वत 2008 से 2017 की नकल प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति प्रस्तुत नही की।

दोनो पक्षो की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2008 से 2017 अनुसार प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि रही है तथा पैतृक भूमि होने का तथ्य अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में भी स्वीकार किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो मुताबिक पैतृक भूमि में उसके हर उत्तराधिकारी का हिस्सा हित निहित है । अप्रार्थी हणमानराम द्वारा अपने हिस्से में से अपने ही पुत्र अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान किया गया है जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हुए है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है, चूँकि वादग्रस्त भूमि इनकी पैतृक भूमि रही है, इसलिए प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में हित निहित साबित होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर निम्नवत आदेश दिया जाता है।

आदेश

ग्राम कुकनवाली के खसरा नम्बर 834 863 1077/875 एवं ग्राम औमपुरा के खसरा नम्बर 796 मे अप्रार्थीगण को जरिये ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है अप्रार्थी संख्या 1 से 10 बिना विधिवत बंटवारा कराये एवं राजस्व रेकार्ड मे बिना दुरूस्ती करवाये अन्य व्यक्ति को बेचान द्वारा या अन्य प्रकार से राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करावे, तथा अप्रार्थी सं. 11 ता 14 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

यह आदेश आज दिनॉक 17.01.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)